राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–1)

Phone 0141–2227634, E-mail: jsadmin.rdd@rajasthan.gov.in Website : rdprd.gov.in

क्रमांकः एफ 7(1)ग्रावि / ग्रुप–1 / 2020 / पार्ट जयपुर, दिनांकः 7 APR 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)
राजस्थान (समस्त)

विषयः–कृषि विभाग के अभियन्ताओं के विभाग के अधीन स्थानान्तरण / पदस्थापन किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज का पत्र क्रमांक एफ 701( ) पराविं / प्रशा–1 / स्था.पद / 2019–20 / 916 दिनांक 18.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह ध्यान में आया है कि प्रायः कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर अथवा कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर द्वारा उनके विभाग के अभियन्ताओं का पदस्थापन / स्थानान्तरण बिना विभाग की अनुमति / अनापत्ति के विभाग के अधीन अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा), अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) एवं सहायक अभियन्ता (अभियांत्रिकी) के पदों पर कर दिया जाता है। विभाग की अनुमति / अनापत्ति के किए गए स्थानान्तरण उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में पंचायती राज द्वारा समय–समय पर कृषि विभाग को इस आशय हेतु पत्र भी लिखे गये हैं तथा निर्देश प्रदान किए गए हैं, परंतु इसके उपरांत भी कृषि विभाग / आयुक्तालय द्वारा उनके विभाग के अभियन्ताओं का पदस्थापन / स्थानान्तरण बिना विभाग की अनुमति / अनापत्ति के विभाग के अधीन पदों पर किया जा रहा है।

अतः प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा) तथा ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के अभियन्ता सवंर्ग के पदों पर कृषि विभाग / आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेशों के क्रम में सम्बन्धित अभियन्ताओं को बिना विभाग की अनुमति / मार्गदर्शन के विभाग के अधीन पदों पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। यदि कृषि विभाग / आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण आदेशों के क्रम में विभाग के अधीन जिला परिषदों में पदों पर कार्यग्रहण कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण कराया जाकर तदानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. आयुक्त, महानरेगा, ग्रामीण विकास, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कृषि एवं पंचायती राज, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, राज. जयपुर।
4. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(गोपाल सिंह)
शासन उप सचिव (प्रशासन)